न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1002/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या– 2879/2026
(CNR No: UPGZ010063672026)
आमिर उर्फ खन्ना पुत्र कमरूददीन निवासी मुस्तफाबाद, शाहदरा दिल्ली उम्र लगभग 27 वर्ष।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–153/2026
धारा–304(2),317(2) बी०एन०एस०
थाना–शालीमार गार्डन, गाजियाबाद।

.....

03.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त आमिर उर्फ खन्ना की ओर से उपरोक्त अपराध में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार कमरूददीन ने इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक /अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रोबिन शर्मा ने दिनांक 23.04.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि दिनांक 23.04.2026 को लगभग शाम 5 से 5.10 बजे के बीच में उसकी बहन के गले के सोने की आधी चेन और पेंडल सी 350 शालीमार गार्डन के बाहर से दो अज्ञात व्यक्ति जो कि लाल रंग की मोटरसाइकिल पर सवार थे, छीनकर ले गए।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए यह तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा मौके का कोई स्वतंत्रजन साक्षी नहीं है। आवेदक /अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का सह अभियुक्त से कोई लेना देना नहीं है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 08.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त उक्त अपराध में संलिप्त रहा है।अभियोजन की ओर से कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य केस मुकदमा अपराध संख्या 168/2026 धारा 109(1), 317(2),317(5) बी.एन.एस. एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना शालीमार गार्डन दर्ज है। उपरोक्त आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं है।6.

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन के अनुसार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की बहन के गले से सोने की आधी चैन व पेंडल छीनकर ले जाने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है तथा कथित बरामदगी आवेदक/अभियुक्त से होना दर्शित है, परन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अपराध की

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.06.03 16:48:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन की ओर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त केस के अतिरिक्त एक अन्य मुकदमा दर्ज होना कहा गया है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 08.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है । तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त आमिर उर्फ खन्ना की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा 50,000/–का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण **(एक प्रतिभू परिवार से सम्बन्धित होगी)** सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 03.06.2026